सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण आख्या

जनपद–रामपुर

दिनांक 28, 29 व 30 नवम्बर, 2016

राज्य स्तर से तीन सदस्यीय भ्रमण टीम डा0 ए0 के0 मिश्रा, महाप्रबन्धक, प्रशिक्षण, श्री अरविन्द कुमार त्रिपाठी, कन्सल्टेन्ट, आई.ई.सी. एव दिनेश पाल सिंह, कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जनपद रामपुर की स्वास्थ्य इकाइयों का सपोर्टिव सुपरविजन भ्रमण दिनांक 28, 29 एवं 30 नवम्बर, 2016 को किया गया है। बिन्दुवार आख्या निम्नवत है–

जिला महिला अस्पताल–

- एस.एन.सी.यू. में 06 बच्चे भर्ती थे। एस.एन.सी.यू. की स्वास्थ्य सेवाएं एवं साफ–सफाई अच्छी पायी गयी।

- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली रु0 1400.00 की धनराशि का वितरण अद्यतन नहीं था। वर्ष 2016–17 में कुल 2326 प्रसव के सापेक्ष कुल 1795 प्रसूताओं को धनराशि का भुगतान किया गया था। लगभग 531 प्रसूताओं का भुगतान लम्बित था। इसी प्रकार वर्ष 2015–16 का 682 प्रसूताओं का भुगतान भी लम्बित था। इन सभी को पोस्टकार्ड से सूचना प्रेषित किये जाने एवं प्रसव के उपरान्त लाभार्थी के खाते में शीघ्र धनराशि अवमुक्त किये जाने का सुझाव दिया गया।
- बायो–वेस्ट का निस्तारण गाइडलाइन के अनुसार नहीं किया जा रहा था। डी.डब्लू.एच में वेस्ट के डिस्पोजल के सम्बन्ध में तैयार किये जा रहे अभिलेख अवलोकन हेतु मांगे जाने पर टीम को उपलब्ध नहीं कराये गये।
- प्रसूताओं के ड्राप बैक (102 एन.एस.एस. या अन्य से) सम्बन्धी अभिलेख मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। जे.एस.एस.के व 102 एस.ए.एस. की गाइडलाइन के अनुरुप प्रसूताओं के ड्राप बैक के अभिलेख/रजिस्टर तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया।
- रोगी कल्याण समिति की बैठकों से सम्बन्धित बैठक रजिस्टर, कैशबुक, व बिल वाउचर आदि अभिलेख अवलोकन हेतु मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे प्रतीत होता है कि धनराशि का व्यय निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार नहीं किया जा रहा है।
- लैब में गर्भवती महिलाओं ब्लड टेस्ट के क्रम में 07 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन वाली गर्भवती महिलाओं का विवरण अलग से तैयार नहीं किया जा रहा था। कम हीमोग्लोबिन वाली महिलाओं को विवरण निर्धारित प्रारुप में तैयार करने का सुझाव दिया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मिलक

- जननी सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली रु0 1400.00 की धनराशि का वितरण अद्यतन नहीं था। वित्तीय वर्ष 2016–17 में अब तक कुल प्रसव 2305 में से 311 प्रसूताओं को भुगतान नहीं किया गया है। प्रसव के उपरान्त लाभार्थी के खाते में धनराशि अवमुक्त किये जाने का सुझाव दिया गया।
- रोगी कल्याण समिति की बैठकों का विवरण राज्य स्तर से निर्धारित रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जा रहा था। अप्रैल 2016 से अब तक समिति की कोई भी बैठक आयोजित नही की गयी है। समिति की बैठकों का नियमित आयोजन कराये जाने एवं राज्य स्तर से निर्धारित रजिस्टर में कार्यवाही दर्ज कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को भोजन एव ंनाश्ता नहीं दिया जा रहा था। प्रसूताओं को गाइडलाइन के अनुसार भोजन एव ंनाश्ता उपलब्ध कराये जाने व निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- लैब में गर्भवती महिलओं ब्लड टेस्ट के क्रम में 07 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन वाली गर्भवती महिलाओं का विवरण अलग से तैयार नहीं किया जा रहा था। कम हीमोग्लोबिन वाली महिलाओं को विवरण निर्धारित प्रारुप में तैयार करने का सुझाव दिया गया।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिला चिकित्सक, स्थाई स्टाफ नर्स बाल रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थिसियन के पद रिक्त होने के कारण समस्या आ रही है। केंद्र में बिजली नहीं होने की स्थिति में जनरेटर भी चलता हुआ नहीं पाया गया।
- कोल्ड चेन प्वाइंट में प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध नहीं थे। निर्धारित प्रोटोकाल पोस्टर लगाये जाने का सुझाव दिया गया।
- सपोर्टिव सुपरविजन हेत अनुबन्धित वाहन का अवलोकन हेतु अनुरोध किये जाने के बावजूद वाहन एवं उनकी लागबुक या अन्य कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
- शिकायत पेटिका तो अस्पताल परिसर में थी किन्तु शिकायतों के पंजीकरण व निस्तारण से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं तैयार किये जा रहे थे। निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।
- बेड संख्या–जी16 में भर्ती प्रसूता कमलेश ने प्रसव के दौरान रू0 750.00 की रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की। जिसकी जांच कर रूपये वापस करने एवं दोषी स्टाफ को दण्डित करने का निर्देश दिया गया।

<u>न्यू पी.एच.सी. कोयला (एल–1)</u>

- जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसव हेतु लाभार्थियों की संख्या कम थी। आने वाले लाभार्थियों को प्रदान किये जाने वाली रु0 1400.00 की धनराशि का वितरण अद्यतन नहीं था। वित्तीय वर्ष 2016–17 में अब तक कुल प्रसव 12 में से 4 प्रसूताओं को भुगतान नहीं किया गया है।
- वर्तमान में यहां कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ डा0 फराह नाज गिलानी के संक्रामक रोग सर्विलांस टीम में संबद्ध हैं।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों का भोजन एव ंनाश्ता नहीं दिया जा रहा था। प्रसूताओं को गाइडलाइन के अनुसार भोजन एव ंनाश्ता उपलब्ध कराये जाने व निर्धारित प्रारुप में अभिलेख तैयार कराये जाने का सुझाव दिया गया।

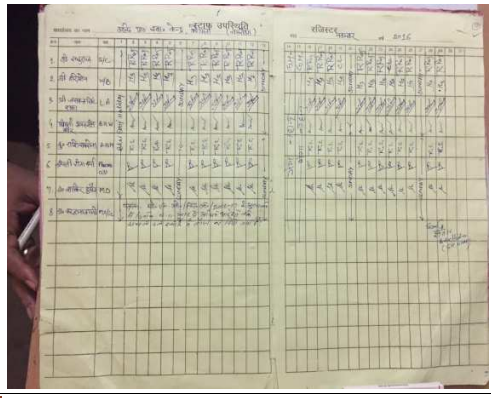

- वार्मर फंक्शनल नहीं था।
- आ0ई0ई0सी0 के तहत ए.एन.सी./पी.एन.सी. वार्डों में दीवाल लेखन नहीं कराया गया और एच.बी.एन.सी. प्रोटोकाल पोस्टर भी उपलब्ध नहीं थे। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं से सम्बन्धित संदेश/सूचनाओं का लेखन कराये जाने का सुझाव दिया गया।

<u>वी.एच.एन.डी. सत्र ग्राम खानपुर कदीम:</u>

- सत्र में आंगनबाडी कार्यकत्री अनुपस्थित थी। गांव वालों ने जानकारी दी कि आंगनबाडी वी.एच.एन.डी. सेशन में कभी भी प्रतिभाग नहीं करती हैं। इस सम्बन्ध में जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक को

सुझाव दिया गया कि ब्लाक स्तर एवं जिले स्तर पर पोषण विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय कर पोषण विभाग की सहभागिता वी.एच.एन.डी. सत्रों में सहभागिता सुनिश्चित की जाय।

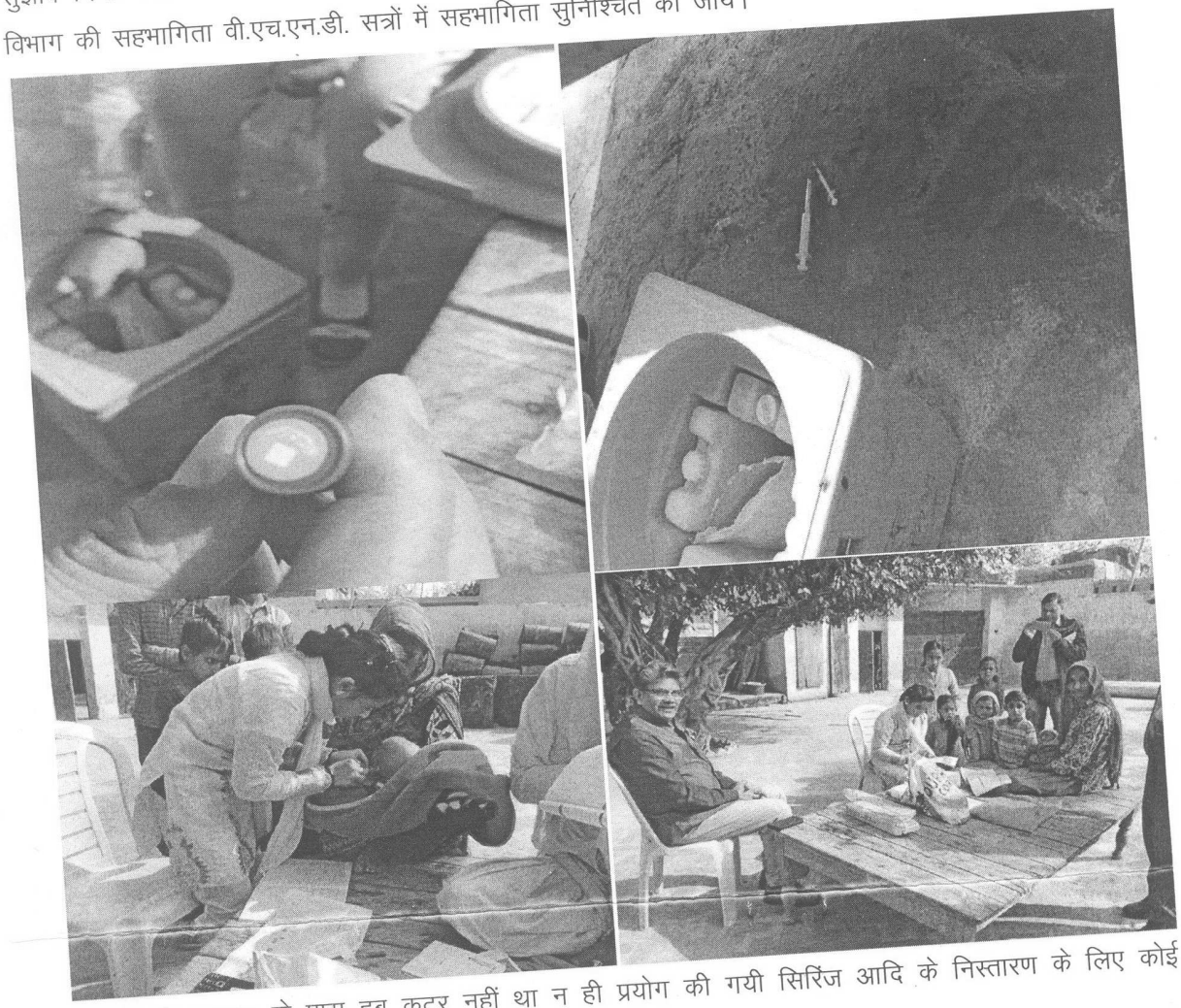

- सत्र में ए0एन0एम0 के पास हब कटर नहीं था न ही प्रयोग की गयी सिरिंज आदि के निस्तारण के लिए कोई व्यवस्था थी। सुझाव दिया गया कि हब कटर की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- सत्र में उपस्थित ए0एन0एम0 द्वारा अवगत कराया गया कि वी0एच0एस0एन0सी0 खाते का संचालन सेवानिवृत्त ए0एन0एम0 के माध्यम से किया जा रहा है जिससे गांव के लोगों की नियोजन प्रकिया में सहभागिता नहीं है न ही फण्ड का लाभ सही तरीके से गांव के लोगों को मिल पा रहा है। जिला कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक को वी0एच0एस0एन0सी0 खातों का संचालन हेतु गाइडलाइन के अनुसार सुनिश्चित कराये जाने एवं नियोजन प्रकिया में ग्राम वासियों की सहभागिता सुनिश्चित कराये जाने का सुझाव दिया गया।

(दिनेश पाल सिंह)
कार्यक्रम समन्वयक

5/12/16
(अरविन्द कुमार त्रिपाठी)
कन्सल्टेंट

(डा0 अनिल कुमार मिश्र)
सहायक प्रबन्धक

Dr. Anil Kumar Mishra
G.M. Training